



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mefca@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/267/2022/एफ.सी./970

दिनांक: 27.03.2023

उप में

श्री० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, कपूर भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या--FP/UP/OTHERS/30687/2017

विषय: कार्यालयीन स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग संख्या 82 पी0ए0 के बैनेज 5.924 से 5.959 दांभी पट्टी पर ग्राम ईटागांव तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में रिटेल खरसा/गाटा संख्या-821 में रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे संरक्षित वनभूमि के गैरवाणिज्यीक प्रयोग व 01 वृक्ष के पतन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक : 2562/11-सी-FP/UP/Others/30687/2017, दिनांक 09.02.2023

परिपत्र

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक 1556/81-2-2022-800(97)/2022, दिनांक-06.09.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विप्लवित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के लनसंख्यक पत्र दिनांक 30.11.2022 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अधूरी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। अतः विचारोपशान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. No details have been provided, regarding the name of the authority on whose orders violation has been committed for initiating action under clause 3A and 3B of FCA guidelines.
2. Revised .kml file of CA as per requirement of plantation of 228 saplings over an area of 0.228 ha. @ min. 1000 plants/hectare needs to be uploaded on Parivesh.

गवदीया,

(श्री० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनअधिकारी, सामाजिक जायिकी प्रभाग पीलीभीत वन प्रभाग पीलीभीत
4. वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० कमला नेहरू मार्ग बरेली।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(श्री० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-3128/11सी-FP/UP/Others/30687/2017 दिनांक, लखनऊ, मार्च 31, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, पीलीभीत वृत्त, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लि०, (एम०डी०) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-243001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।